फैक्स

संख्या–5637/8–3–2006–52विविध/2006

प्रेषक,

के0 एल0 मीना
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

1– **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 22 नवम्बर, 2006**

विषय : **प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इण्टीग्रेटेड आवासीय नीति) के अन्तर्गत विकासकर्ताओं द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–154 के प्राविधानों के अधीन अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–6710/8–1–06–77विविध/06 दिनांक 10.10.2006 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। उक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा इन्टीग्रेटेड आवासीय नीति के अन्तर्गत विकासकर्ता कम्पनी द्वारा चिन्हित 12.5 एकड़ भूमि से अधिक भूमि के संक्रमण हेतु धारा–152(2) से प्राविधानों से छूट के लिए उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन की व्यवस्था की गयी है। उक्त छूट प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूपों–1 व 2 की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न प्रारूपों पर (विकासकर्ता कम्पनी से संदर्भित शासनादेश दिनारंक 10.10.2006 की व्यवस्था का पालन करते हुए एम.ओ.यू. आदि हस्ताक्षरित करने के उपरान्त) शासन को हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी में निर्धारित प्रतियों में सूचनाएं/प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु विकासकर्ता कम्पनियों को तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।

सलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

के.एल. मीना

सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से भी वांछित सूचनाएं आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 को उपलब्ध कराने हेतु विकासकर्ता कम्पनियों को सूचित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

शिवजनम चौधरी

अनुसचिव

प्रारूप–1

(विस्तृत सूचना)

1– कम्पनी का नाम

2– भूमि के संक्रमण का प्रयोजन

3– प्राधिकरण/परिषद में रजिस्ट्रेशन की तिथि

4– प्रस्तावित भूमि की स्थिति और उसका विवरण

(धारा7154(2) के अधीन छूट हेतु)

जिला	तहसील	प्रगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	खातेदारों की श्रेणी जिनसे भूमि क्रय की जानी है।	खातेदा का नाम व पता

5– भूमि के प्रस्तावित अन्तरण का प्रकार विक्रय पत्र/अधिग्रहण/दान पत्र

6– क्या अन्तरिती के विरूद्ध धारा–154(2) के उल्लंघन का कोई मामला विचाराधीन है अथवा नहीं?

7– क्या भूमि के प्रसतावित संक्रमण के फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में जन साधारण पर किसी कुप्रभाव के पड़ने की संभावना है?

8– क्या जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भू–स्वामी,

(क) अनुसूचित जाति के हैं?

(ख) अनुसूचित जन जाति के हैं?

(ग) असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हैं?

9– भूमि की न्यूनतम आवश्यकता (एकड़ में)

10– स्थल दर्शाते हुए साइट मैप (05 प्रतियों में) अलग–अलग ग्रामों को दर्शाते हुए।

नोट : उपर्युक्त सूचना शासन को 03 प्रतियों में हार्ड कॉपी में तथा 10 सी.डी. में उपलब्ध करायी जाय।

प्रारूप–1

(विस्तृत सूचना)

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	राजस्व ग्रामवार कुल गाटा संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	कुल खातेदारों की संख्या

नोट : उपर्युक्त सूचना 05 प्रतियों में शासन को उपलब्ध करायी जाय।